



भारत सरकार

कार्यालय

Office of the

आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions),

तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, Lal Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015

नाम Name	DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN
पता Address	220, Shri Gopal Nagar, Near Mahesh Nagar, Jaipur-302017
स्थायी खाता संख्या PAN	AACAD5614Q
धारा 12ए के अधीन पंजीकरण व आदेश की संख्या तथा दिनांक No. & Date of Registration & Order No. U/s 12AA	AACAD5614Q/08/2016-17/S-532/12AA Dated 26.07.2017
धारा 80 जी के अधीन आवेदन पत्र की दिनांक Date of Application U/s 80G	18/01/2019
आदेश की दिनांक Date of order	12/07/2019
80 जी के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर. एन.) Unique Registration No (URN) for 80G	AACAD5614Q/08/2018-19/S-037/80G

**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के तहत स्वीकृति आदेश  
APPROVAL UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961**

उपर्युक्त न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि दानकर्ता, **DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN**, 220, Shri Gopal Nagar, Near Mahesh Nagar, Jaipur-302017 को दिये गये दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत, धारा 80जी की उप-धारा(5) के उपबंध (i) से (v) एव उपधारा (5बी) में वर्णित शर्तों के अधीन कटौती का पात्र होगा।

The aforesaid Trust/Society/Non-profit Company/Institution is registered u/s 12AA of Income-tax Act. It is certified that donation made to \_\_\_\_\_, shall qualify for deduction u/s 80G (5)(vi) of the Income-tax Act, 1961 subject to the fulfilment of conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) and sub section (5B) of section 80G of the I.T. Act 1961.

2. यह स्वीकृति दिनांक **18-01-2019** से, विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये जाने तक, अनवरत रूप से मान्य होगी।

This approval shall be valid in perpetuity w.e.f. \_\_\_\_\_ unless specifically withdrawn.

3. आय की वार्षिक विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर. 7 में आय व्यय खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा चिट्ठे के साथ, आयकर अधिकारी (छूट), वार्ड-1, जयपुर जिनके पास आपका क्षेत्राधिकार है को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होगी।

The Return of Income in I.T.R.-7 along with the Income & Expenditure Account, Receipts and Payment Account and Balance Sheet should be submitted annually to the **Income-tax Officer (Exemptions), ward \_\_\_\_\_** having jurisdiction over the case.

4. आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के पूर्वानुमोदन के बिना न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, न्यास- लेख/विद्यान पत्र में परिवर्तन नहीं कर सकेगा।  
No change in the Trust Deed/Memorandum of Association shall be effected without the prior approval of the **Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur.**
5. दानदाता को जारी प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की विशिष्ट पंजीयन संख्या एवं दिनांक अंकित करनी होगी।  
Every receipt issued to a donor shall bear the Unique Registration Number (URN) and date of this order.
6. धारा 12ए के अधीन पंजीकृत अथवा धारा 10(23सी)(vi)/(via) इत्यादि में स्वीकृत न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को उनके द्वारा चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि की लेखा बहियां धारा 80जी (5)(i)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत अलग से रखनी होगी तथा उक्त गतिविधि को प्रारम्भ करने के एक माह के भीतर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर को सूचित करना होगा।  
Under the provisions of section 80G(5)(i)(a), the Trust/Society/Non-profit Company/Institution registered u/s 12A / 12AA(1)(b) or approved u/s 10(23C)(vi)/(via), etc., shall have to maintain separate books of accounts in respect of any business activity carried on and shall intimate Commissioner of Income-tax (Exemption), Jaipur within one month about commencement of such activity.
7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के प्रावधानों के इतर, न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान किसी प्रकार का अधिभार, शुल्क अथवा अन्य प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकेगी।  
No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.
8. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5डी) के प्रावधान के अनुसार दानदाता को रु.2000/- (दो हजार रुपये) से अधिक दिये गये नकद दान पर छूट प्राप्त नहीं होगी।  
**No deduction shall be allowed to donor, as per section 80G(5D) of the Income Tax Act; 1961, in respect of donation made in cash exceeding Rs.2000/-(Rupees two thousand).**



हस्ता/-  
(दिलीप सिंह कोठारी)  
(Dilip Singh Kothari)  
आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर

Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur

क्रमांक:- आ.आ. (छूट) जयपुर/आ.अ. (मु.)/2019-20/2457

दिनांक:- 12 जुलाई, 2019

**No. CIT (E)/JPR/ITO (Hqrs.)/2018-19/**

**Dated: 15**

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1-निर्धारिती/Assesse- **DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN, 220, Shri Gopal Nagar, Near Mahesh Nagar, Jaipur-302017.**

2-निर्धारण अधिकारी/Assessing Officer - The Income-tax Officer (Exemptions), Ward-1, Jaipur.

(पंकज दीक्षित)  
(Pankaj Dixit)

आयकर अधिकारी (मुख्या.)

Income Tax Officer (H.Qrs.)

कृते आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर

For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Jaipur